160

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3188—दो/15 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 19—08—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 830/अपील/2011—12.

श्रीमती रामबती उर्फ मुन्नी पत्नी
राम शरण साहू निवासी ग्राम
गुडुआधार तहसील कुसनी
जिला सीधी मध्य प्रदेश

—— आवेदक

विरूद्ध

1— महेश साहू तनय भगवत साहू
निवासी ग्राम गुडुआधार तहसील
कुसनी जिला सीधी मध्यप्रदेश
2— म0 प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर सीधी

—— अनावेदक

.....

श्री आर0 डी0 शर्मा, अभिभाषक, आवेदक
श्री के0 के0 द्विवेदी, अभिभाषक, अनावेदक—1
श्री आर0 डी0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक, अना0 क—2

.....

आदेश

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–08–2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि आवेदिका द्वारा तहसीलदार कुसमी के समक्ष ग्राम गुडुआधार की आराजी कमांक 391/3 से निर्मित नवीन आराजी कमांक 835 रकवा 0.97, सर्वे कमांक 869 रकवा 0.24 है0 से निर्मित प्लाट सुधार हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसीलदार द्वारा आवश्यक जांच उपरांत दिनांक 27.11.09 को अभिलेख सुधार का आदेश पारित किया गया जिसकी अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी मझौली द्वारा समय सीमा के बिन्दु पर अपील निरस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया। जिससे दुखित होकर अनावेदक महेश साहू द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त रीवा द्वारा दिनांक 19.8.15 द्वारा आवेदक की अपील स्वीकार की गई इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका का भूमि पुराना सर्वे कमांक 391/3 से निर्मित नवीन सर्वे न0 835 रकवा 0.97 एवं 969 रकवा 0.24 आवेदिका के नाम दर्शाये गये जबकि नवीन सर्वे कमांक 836 रकवा 0.97 अनावेदक कमांक 1 के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि है। पुराने सर्वे कमांक 391/3 से नवीन सर्वे कमांक 969 रकवा 0.24 सर्वे कमांक 968 रकवा 0.96 आवेदिका के स्वत्व स्वामित्व में आधिपत्य की भूमियां हैं इस प्रकार सर्वे नम्बरान एवं नक्शा में बंदोवस्त त्रुटि के सुधार हेतु आवेदिका ने अनावेदक कमांक 1 को पक्षकार बनाते हुये तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदन किया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से प्रतिवेदन प्राप्त

कर उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये बंदोवस्त पूर्ण अभिलेखानुसार आदेश दिनांक 27.11.09 द्वारा सर्वे नम्बरान एवं नक्शा त्रुटि सुधार का आदेश पारित किया गया। तदानुसार सर्वे नम्बर 968 रकबा 0.96 हैक्टर आवेदिका के नाम एवं सर्वे कमांक 835 रकवा 0.97 है0 अनावेदक के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया। तर्क में यह भी कहा गया है कि द्वितीय न्यायालय के समक्ष विवादित प्रश्न गुणा–गुण पर नहीं था अपितु परिसीमा का प्रश्न विवादित था कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 की अपील समय सीमा वर्जित होने से खारिज करने में कोई त्रुटि नहीं की थी। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रथम अपील में पारित आदेश गुणा–गुण पर नहीं था ऐसी स्थिति में विद्वान द्वितीय अपील न्यायालय द्वारा गुणा–गुण पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता था। इस संदर्भ में निम्नलिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय है। 1979 राजस्व निर्णय 521, 2009 राजस्व निर्णय 430, 2013 आर0 एन0 398 (माननीय उच्च न्यायालय) परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अधीन सर्व प्रथम परिसीमां के प्रश्न पर ही विचार किया जाना चाहिये। परिसीमा के प्रश्न पर विचार किये बिना समय वर्जित अपील में पारित आदेश अधिकारिता रहित है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि न्यायालय का यह कर्तव्य है कि सर्व प्रथम परिसीमा के प्रश्न पर निर्णय किया जाये। यदि परिसीमा के प्रश्न पर निर्णय नहीं किया गया है तब ऐसा आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता इस संदर्भ में निम्न लिखित न्याय दृष्टांत अवलोकनीय हैं, 1989 जे0 एल0 जे0 641। तर्क में यह भी कहा गया है कि तहसीलदार को यह अधिकारिता संहिता की धारा 89 के अधीन प्रत्यायोजित शक्तियों के अधीन है। अपर आयुक्त द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित है। यह निष्कर्ष नितांत अवैध

अनुचित एवं त्रुटि पूर्ण है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण कमांक 830/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.8.15 आपस्त किया जावे तथा उपखण्ड अधिकारी मझौली का प्रकरण कमांक 63/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 7.9.11 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 27.11.09 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आराजी कमांक 391/6 रकबा 1.619 है0 म0 प्र0 शासन की भूमि है. जिसका व्यवस्थापन सक्षम तहसीलदार द्वारा अनावेदक महेश साहू के नाम स्वीकार किया गया है। आवेदक के पास आराजी कमांक 391/3 भूमिस्वामी स्वत्व में अंकित है। तहसीलदार द्वारा नक्शा सुधार प्रकरण में अनावेदक के कब्जे की भूमि का अंतरण कर दिया है जिसके विरूद्व अपील किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समय सीमा बिन्दु पर अपील निरस्त की गई है, जबकि नक्शा सुधार के प्रकरण में जमीन का अंतरण नहीं किया जा सकता है, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त रीवा द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अंत में निवेदन किया गया है कि अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा म0 प्र0 के प्रकरण कमांक 830/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.8.2015 स्थिर रखा जावे, एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने एवं प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अध्ययन किया गया। अभिलेख के अध्ययन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत अपील को अवधि बाह्य मानते हुये खारिज की गयी थी। अर्थात गुणा गुण पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत द्वितीय

अपील में अपर आयुक्त द्वारा परिसीमा के प्रश्न पर विचार न करते हुये गुणा गुण पर आदेश पारित किया गया है, जब प्रथम अपील न्यायालय द्वारा पारित आदेश गुणा गुण पर नहीं किया था तब अपर आयुक्त द्वारा गुणा गुण पर आदेश पारित करने में त्रुटि की गयी है। उद्वरित न्याय दृष्टांत 2013 आर0 एन0 398 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब प्रकरण में अंतरिम आदेश के विरूद्व पुनरीक्षण किया गया हो तब गुणा गुण पर आदेश नहीं किया जाना चाहिये। इस न्यायालय द्वारा भी 1979 आर0 एन0 521 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब प्रथम अपील तकनीकी आधारों पर खारिज की गयी हो तब द्वितीय अपील में गुणा गुण पर आदेश नहीं किया जाना चाहिये। 2009 आर0 एन0 430 में भी इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जब निचले न्यायालय का निर्णय गुणा गुण पर न हो तब द्वितीय अपील में गुणा गुण पर निर्णय नहीं किया जना चाहिये। माननीय उच्च न्यायालय में एवं इस न्यायालय द्वारा के उद्वरित न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– परिणामस्वरूप आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 830/अपील/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 19.8.2015 निरस्त किया जाता है तथा अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 63/अपील/09–10 में पारित आदेश दिनांक 7.9.11 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 27.11.09 स्थिर रखे जाते हैं।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर